गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा

जनजाति भवन, **बाँसवाड़ा–327001**

02962-254022 registrar@ggtu.ac.in

BID No: GGTU/2017/ Dated : 09-12-2017

“ विश्वविद्यालय में परीक्षात्मक कार्यो हेतु वाहनों को किराये पर लेने संबंधी निविदा ”

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक लिफाफों में प्रेषित करनी होगी।

क्रमांक :– एफ ( ) गोगुजवि/बांस/2017–18 दिनांक :–

खुली निविदा सूचना

विश्वविद्यालय के परिक्षैत्र बांसवाडा, डूगरपूर एवं प्रतापगढ जिलों में परीक्षा 2017–18 संबंधी सामग्री की आपूर्ति एवं अन्य कार्यो हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहन दर संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ट्रेवलिंग फर्मों/संस्थाओं/वाहन ऑपरेटर संघों/वाहन ठेकेदारों/अन्य कोई व्यक्तियों से निम्नानुसार (मय लोडिंग व डाउनलोडिंग) मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। टेण्डर फार्म बिक्री हेतु कार्यालय में उपलब्ध होंगे जो निविदा शुल्क रू. 1000– डी.डी. जमा कराकर दिनांक 23.12..2017 को 4.:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। **तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं अलग–अलग सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।** निविदाऐं दिनांक 23.12.2017 को दोपहर 04:00 बजे तक प्राप्त कर 04:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा दाताओं को तकनीकी निविदा के साथ 2 प्रतिशत के बराबर राशि धरोहर/बयाना राशि के रूप में निविदा के साथ डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा खोली जायेगी, निविदा सम्बन्धी समस्त कर निविदा दाताओं को वहन करने होगें। किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सभी नियम/परिपत्र निविदा के संबंध में लागू होंगे।

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	विवरण	अनुमानित व्यय	वाहनों की संख्या	आपूर्ति अवधि (अनुमानित)	प्रतिभूति राशि
1	मिनी बस	बांसवाडा, डूगरपूर एवं प्रतापगढ जिले के लिए परीक्षा सामग्री आपूर्ति हेतु वाहनों की आवश्यकता है जो दस वर्ष से पुराना नहीं हो एवं किसी प्रकार की कोई खराबी न हो।	9,00,000/–	05	अनुबंध की तिथी से 1 वर्ष तक	18000/–
2	टेम्पो ट्रेक्स/ क्रूजर/बंद बॉडी पिकअप/ कार ए. सी. (स्फिट डिजायर/डण्डिगो)/ कार ए.सी. (इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा,फोर्डी)/ जीप ए.सी. (बोलेरो)	बांसवाडा, डूगरपूर एवं प्रतापगढ जिले के लिए परीक्षा सामग्री आपूर्ति हेतु वाहनों की आवश्यकता है जो दस वर्ष से पुराना नहीं हो एवं किसी प्रकार की कोई खराबी न हो।		05	अनुबंध की तिथी से 1 वर्ष तक	

निविदा की समस्त शर्तो का पूर्ण पालन करना होगा। उपरोक्तानुसार किराये पर वाहन उपलब्ध करवाये जाने के लिए मोहरबन्द खुली निविदा की शर्ते परिपत्र– ***'अ'*** में संलग्न हैः–

संलग्न– परिपत्र– 'अ'

कुलसचिव

क्रमांक–एफ ( ) गोगुजवि/बांस/2017–18/ दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. कुलपति सचिवालय, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
2. कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाडा नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय नगर परिषद, बांसवाडा नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा, नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. श्री संजय नायक, कनिष्ठ लेखाकार को sppp पोर्टल पर उक्त निविदा को अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव

परिपत्र– 'अ'

1. निविदा फॉर्म का मूल्य प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जावेगा, जो निविदा विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन्हें नामंजूर किया जायेगा।
2. निविदायें मुहरबंद लिफाफे में हो जिस पर स्पष्ट रूप से ''किराये पर वाहन के लिये निविदा'' लिखा होगा, दिनांक 23.12..2017 को 04:00 बजे तक या उससे पूर्व निश्चित रूप से पहुंच जावे। विहित समय व दिनांक पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जावे या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवायी जावे।
4. निविदा में शामिल होने के लिए फर्म को अनुमानित निविदा राशि के दो प्रतिशत का डीमाण्ड ड्राफ्ट बयाना/धरोहर राशि के रूप मे दिनांक 23.12.2017 को 04:00 बजे तक कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा। ' के नाम से देय होगा।
5. बयाना/धरोहर राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. **निविदा प्रारूप बाल पेन/स्याही से भरा / टंकित किया हुआ होगा, एच बी पेंसिल भरी निविदा मान्य नहीं होगी ।**
7. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के समस्त निर्बंधनों व शर्तों को स्वीकार करने का उल्लेख कर प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
8. **दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों मे लिखे, त्रुटि व उपरिलेखन नहीं होगा। कोई सुधार करना हो तो स्पष्ट काट कर पुनः लिखें व लघु हस्ताक्षर करें।**
9. दरें कार्यालय गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा से गन्तव्य स्थान तक एवं वापस विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर तक एफ. ओ. आर. प्रस्तुत की जानी है। जिसमें अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु **GST** को शामिल न करके अलग से दर्शायें। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना है, अलग से कार्यालय द्वारा गाड़ी भाड़ा/परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित नियमानुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेज वाहन के साथ होने आवश्यक हैं।
11. वाहन चालक एवं स्टाफ के लिए अलग से कोई प्रभार देय नहीं होगा।
12. परिवहन विभाग में वाहन का पंजीयन आवश्यक है।
13. वाहन परीक्षण के दौरान या कार्यावधि के दौरान अनुमोदन के अनुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदा दाता स्वयं के खर्चे पर अन्य वाहन उपलब्ध करवायेगा, यदि तात्कालिक आवश्यकता के कारण वाहन को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं हो पाया, तो निविदा दाता को सुनवाई का उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अनुमोदित दरो में से उपयुक्त राशि की कटौती शास्ति के रूप में की जायेगी, जो अंतिम होगी।
14. आदेश की तारीख से 5 दिवस में वाहन की भौतिक रूप से उपलब्धता कार्यालय में दर्शानी होगी प्रारूप 'क' में विवरण प्रस्तुत करना होगा।
15. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा के अतिरिक्त अन्य वाहन हेतु भी फर्म को आदेश दिया जाता है, तो निविदा दाता वाहन उपलब्ध करवाने के लिये बाध्य होगा। यदि निविदा दाता वाहन उपलब्ध नहीं करवाता है तो विश्वविद्यालय सीमित निविदा या अन्य प्रकार से वाहन किराये पर लेने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय होगी उसकी वसूली निविदा दाता से की जायेगी।
16. सामग्री लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य भी सफल निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा।
17. क्रेता अधिकारी निर्दिष्ट संख्या से कम वाहन किराये पर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
18. असफल बोलीदाताओं की बयाना/धरोहर राशि निविदा अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी। केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों को बयाना राशि की छूट होगी। अन्य के लिये बयाना राशि में छूट जी.एफ.एण्ड ए.आर. नियमों के अन्तर्गत ही देय होगी।

19. बयाना राशि निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर ली जायेगी–

(अ) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपांतरण करता है।

(ब) जब निविदा दाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार, शर्त को निष्पादित नहीं करता है।

(स) जब निविदा दाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है।

(द) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेशों के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाने में असफल रहता है।

20. सफल निविदा दाता को निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति तुरन्त या 2 दिवस में जमा करानी होगी, बयाना राशि इसके लिये समायोजित की जा सकेगी, परन्तु प्रतिभुति की बयाना राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से जमा करायी जा सकती है।

21. प्रतिभूति राशि अनुबन्ध अवधि के समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय की समस्त बकाया वसूली होने पर यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी।

22. केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगें।

23. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्न मामलों में समपहृत/जब्त किया जा सकेगा।

(अ) निविदा के किन्ही निर्बंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया हो।

(ब) सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक रूप से करने में निविदा दाता असफल रहा हो।

(स) समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

24. वाहन उपलब्ध करवाये जाने के समय वाहन उत्तम गुणवता का होना अनिवार्य है। यदि इसके अनुरूप नहीं हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता वाहन स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

25. कार्य समाप्ति तक वाहनों में होने वाली किसी भी क्षति/खराबी की पूर्ति के लिए संबंधित फर्म निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं तुरन्त प्रभाव से दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना फर्म की जिम्मेदारी होगी।

26. यदि वाहन त्रुटिपूर्ण हो तो उन्हें बदल कर दूसरा वाहन निविदादाता तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवायेगा एवं तत्काल वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर शास्ति प्रतिदिन न्यूनतम 150 किमी. की दर से कटौती की जावेगी।

27. कार्य के दौरान उपयुक्त नहीं पाये जाने पर वाहन को हटा दिया जायेगा तथा निविदादाता स्वयं के खर्चे पर दूसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

28. वाहनों से अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो निविदादाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी भी समय कार्यादेश निरस्त कर सकता है, जिनके कारणों को अभिलिखित करेगा।

29. आदेश की तारीख से 03 दिन में सफल निविदादाता वाहनों के बीमा, फिटनेश, टेक्स, रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन तथा वाहन चालक से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहनों की भौतिक रूप से उपस्थिति निश्चित करेगा ताकि संबंधित अधिकारी वाहनों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो सके।

30. वाहनों के कार्यालय तक पहुंचने का कोई प्रभार देय नहीं होगा।

31. सभी दरें सभी प्रकार के कर एवं शुल्क सहित होगी।

32. किलोमीटर एवं समय की गणना विश्वविद्यालय कैम्पस से होगी एवं दिन की गणना रात्रि 12:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक 24 घंटों के हिसाब से की जावेगी।

33. वाहन उपयोगकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से वाहन के साथ लॉग बुक व ड्यूटी स्लिप रखनी होगी तथा नियमित रूप से भरनी होगी एवं बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

34. लॉग बुक में एक केन्द्र/स्थान से दूसरे केन्द्र/स्थान का हवाला देते हुए किलोमीटर्स का स्पष्ट ब्यौरा प्रयोगकर्ता को वाहन चालक के सहयोग से देना होगा और सत्यापित करवाना होगा।

35. वाहन चालक द्वारा निर्धारित ड्यूटी स्लिप एवं लॉग बुक रखनी होगी, जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा भरनी होगी एवं प्रयोगकर्ता द्वारा नाम व पद भरकर हस्ताक्षर करने होंगे।

36. भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करते समय तीन प्रतियों में ड्यूटी स्लिप एवं लॉग बुक की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

37. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव की लिखित अथवा दूरभाष अनुमति के बिना सफल निविदादाता द्वारा किसी को भी वाहन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इसके अभाव में विश्वविद्यालय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

38. निविदा अवधि के दौरान डीजल की दरें बढ़ने की स्थिति में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

39. कार्य के संतोषजनक होने पर ही, निविदा दाता द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा, अग्रिम नहीं।

40. विवादास्पद मामलो के संबंध में भुगतान 10 से 25 प्रतिशत तक रोका जायेगा, जो विवाद के निपटारे पर भुगतान कर दिया जायेगा।

41. **सफल निविदा दाता को इस हेतु सूचित करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ 15 दिवस में नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।**

42. विश्वविद्यालय न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

43. निविदा दाता निविदा निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा– (1) साझेदारी फर्म हो तो साझेदारी डीड (2) यदि साझेदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या और उसका वर्ष (3) एकल स्वामित्व के नाम हो तो आवास एवं कार्यालय का पता व फोन नम्बर (4) कम्पनी के मामलो में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

44. वाहन के लिए न्यूनतम बिलिंग प्रतिदिन 150 किलोमीटर की होगी।

45. वाहन आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध वाहन पूर्ण रूप से सड़क एवं मिट्टी पर चलने में सक्षम एवं वैध होना आवश्यक है। बीमा, फिटनेश, टेक्स, रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन तथा वाहन चालक से संबंधित अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज वाहन के साथ हर समय होने आवश्यक है, इनके अभाव में वाहन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

46. मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम पर रू. 200/– के हिसाब से भुगतान देय होगा।

47. टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर टोल अलग से देय होगा।

48. फर्म/व्यक्ति द्वारा निविदा प्रपत्र में TIN/PAN नम्बर स्पष्ट दर्शाना होगा।

49. कार्य निविदा प्रपत्र की शर्तों व निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गोपनीयता के साथ करना होगा। गोपनीयता भंग करने की दशा में भुगतान देय नहीं होगा।

50. किराये की दरों में सभी प्रकार के कर व खर्चे सम्मिलित होने चाहिए।

51. रविवार अथवा अवकाश के दिन भी विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार वाहन उपलब्ध करवाना होगा।

52. गाड़ी उपयोग में नहीं लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं दिया जायेगा।

53. वाहन चालक बदलने की स्थिति में निविदादाता को तत्काल कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा को सूचित करना होगा।

54. वाहन की सुरक्षा, रख–रखाव व अन्य सम्पूर्ण जिम्मेदारियां जैसे वाहन संचालन, खड़ा करना आदि निविदादाता की होगी।

55. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।

56. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश मिलते ही वाहन समय से आधा घण्टा पूर्व निर्धारित स्थान पर उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही वाहन हर समय व हर प्रकार से तैयार रखना होगा तथा समय की पाबन्दी का पालन करना होगा।

57. आयकर, GST आदि की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता के बिलों से की जायेगी।

58. जिस दिन वाहन को विश्वविद्यालय द्वारा बुलाया जायेगा उसी दिन का भुगतान किया जायेगा अन्यथा नहीं।

59. विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र बांसवाडा ही रहेगा।

कुलसचिव

क्रमांक :– एफ ( ) गोगुजवि / बांस / 2017–18 दिनांक :–

(तकनीकी बिड)

विश्वविद्यालय / कार्यालय उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध करवाने के लिये पंजीकृत ट्रेवलिंग फर्मो / संस्था / वाहन ऑपरेटर संघ / वाहन ठेकेदार या अन्य कोई व्यक्तियों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ अलग से बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र (तकनीकी बिड)

1. निविदा दाता का नाम व पूर्ण पता – ....
   ....
2. मालिक / साझेदार का नाम जो लेन–देन करते हो – ....
3. दुरभाष संख्या (मोबाईल नंबर सहित) – ....
4. उपलब्ध वाहनो का विवरण रजिस्ट्रेशन संख्या अन्य विवरण
   ....
   ....
5. मैन पावर का विवरण – ....
6. स्थान जहां वाहन का निरीक्षण किया जा सके – विश्वविद्यालय कार्यालय।
7. जीएसटी पंजीकरण संख्या – ....
8. आयकर पंजीकरण संख्या – ....
9. आयकर / बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र – ....
10. निविदा प्रपत्र क्रय का प्रमाण पत्र के रूप मे 200रू. की रसीद / डी.डी. / बैकर्स चैक नम्बर... दिनांक...
11. धरोहर / बयाना राशि दस हजार रूपये मात्र ड्राफ्ट संख्या......................... दिनांक.......................बैंक का नाम.......................... ....तकनीकी निविदा के साथ संलग्न है।
12. अन्य विवरण – ....

नोट– उक्त सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपीयो के साथ बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक दस हजार रूपये मात्र का संलग्न करना सुनिश्चित करें।

मैनें / हमने उपरोक्त चाही गयी सूचनाए सही दी है, किसी भी वाहन के खिलाफ कीसी भी न्यायालय मे किसी भी प्रकार का वाद लंबित नही है। प्रमाण साक्ष्य प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिलिपीयां भी संलग्न कर दी है। उपरोक्त सूचनाओ मे से कीसी भी सूचना के असत्य पाये जाने पर हमारी फर्म पूर्णतया जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर निविदा दाता
एवं पूर्ण पता
मोबाईल नम्बर

संस्था / फर्म का नाम..

क्रमांकः– दिनांक :–

कुलसचिव
गोविन्द गुरू जनजीतीय विश्वविद्यालय
बांसवाडा (राज)

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा

जनजाति भवन Phone: 02962-244022: registrar@ggtu.ac.in

क्रमांक :– एफ ( ) गोगुजवि/बांस/2017–18 दिनांक :–

वित्तीय निविदा

दर अनुसूची – 1

क्र.सं	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. सीभी कर सहित (टोल टैक्स के अलावा) डीजल व ऑयल सहित प्रति दिन	
		250 किमी तक एक मुश्त	250 किमी से अधिक दूरी के लिये प्रति किमी
1	मिनी ट्रक (टाटा 407)		
2	मिनी बस (टाटा 407)		
3	महेन्द्रा पिकअप (कवर्ड)		
4	टेम्पो ट्रेवलर/फोर्स ट्रेवलर ए.सी.		
5	कार ए.सी. (स्फिट डिजायर/डण्डिगो)		
6	कार ए.सी. (इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा/फोर्ड)		
7	जीप ए.सी. (बोलेरो)		

दर अनुसूची – 2

क्र.सं	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. सीभी कर सहित (टोल टैक्स के अलावा) डीजल व ऑयल सहित	
		दर प्रतिमाह (1500 किमी तक परिचालन की लागत सहित)	माह मे 1500 किमी से अधिक चलने पर दर प्रति किमी (अधिक किमी के लिये)
1	कार ए.सी. (स्फिट डिजायर/डण्डिगो)		
2	कार ए.सी. (इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा/फोर्ड)		
3	जीप ए.सी. (बोलेरो)		

निविदादाता के हस्ताक्षर

–: घोषणा :–

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमनें निविदा शर्तो का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु ळैज से पंजीकृत है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा वांछित वाहन उपलब्ध करवाने में सक्षम है। केन्द्र सरकार/ किसी राज्य सरकार/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशाषी संस्था/ निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नही किया हुआ है। निविदा सूचना एवं उसके साथ सलंग्न सामान्य निर्देश अनुबंध का भाग मानी जावेगी।

दिनांक :– .... निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर एवं डाक व पता